न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रभुदयाल शर्मा आर0ए0एस0
निर्णय दिनांक:– 20.06.18

वाद सं0 163/17

1. निर्मल पुत्र आनंदीलाल जाति कुमावत नि0 जोबनेर रोड़ फुलेरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

वादी

बनाम

1. हरजी पुत्र पेमा
2. आसूराम पुत्र कानाराम दत्तक पुत्र लक्ष्मण
3. देवीलाल पुत्र कानाराम
4. रामचन्द्र पुत्र कानाराम
5. हेमराज पुत्र कानाराम
6. रतनीदेवी पत्नि हरजीराम
7. रामादेवी पत्नि कानाराम
8. प्रभू पुत्र पेमा
9. मोती पुत्र पेमा

नाबालिगान जरिये संरक्षक माता रामादेवी बेवा कानाराम

समस्त जाति जाट नि0 टाण्डी की ढाणी, ईटावा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

10. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सांभरलेक जरिये –प्रबन्धक
11. यूकों बैंक फुलेरा जरिये– प्रबन्धक
12. तहसीलदार सांभरलेक मु0 सांभरलेक जिला जयपुर
13. सब रजिस्टार सांभरलेक तह0 सांभरलेक जिला जयपुर राज0

प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एंव स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 9 की संयुक्त कब्जें काश्त व खातेदारी की आराजी खं0नं0 132/1 रकबा 33 बीघा 10 बिस्वा वाकै ग्राम ईटावा प0ह0 तेज्या का बास तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में स्थित है। जिसमें वादी का 200/670 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 का 100/670 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 का 54/670+135/6700 कुल 675/6700 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 3 लगा0 5 का संयुक्त रूप से 3/20 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 6 का 34/670 हिस्सा,

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी सं0 7 का 200/6700 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 8 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 9 का 14/670 हिस्सा है। इसी प्रकार मौके पर वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 9 काबिज काश्त होकर भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। वादग्रस्त आराजी अविभाजित है। जिसका विधिक रूप से कोई किसी प्रकार से विभाजन नहीं हो रखा है। परन्तु वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 9 ने आपसी सहमति से वादग्रस्त भूमि का विभाजन कर रखा है तथा मौके पर अपने–अपने हिस्सों पर काबिज काश्त है तथा वादी ने मौके पर अपने हिस्सों की आराजीयात में कुंआ भी निर्मित कर बिजली का कनेक्शन भी ले रखा है जिसका उपयोग उपभोग वादी ही करता आ रहा है तथा वादी ने अपने हिस्सों की भूमि को काफी उन्नत व विकसित कर रखी है वादी ने प्रतिवादी सं0 1 लगा0 9 को कई बार वादग्रस्त भूमि का मौके के कब्जें काश्त के अनुसार विभाजन करवानें को कहा परन्तु प्रतिवादी सं0 1 लगा0 9 हमेशा कोई न कोई बहाना करते हुये विधिक रूप से विभाजन वादग्रस्त भूमि का मौके के कब्जें काश्त के अनुसार आजतक नहीं करवाया है ओर वादी को हमेशा यही आश्वासन देते रहे कि समय मिलते ही विभाजन करवा लेगे वैसे भी पारस्परिक सहमति से सभी अपने–अपने हिस्सों पर मौके के कब्जें काश्त के अनुसार काबिज काश्त है विश्वास रखो विधिक रूप से भी विभाजन राजस्व रिकोर्ड के अनुसार करवा लेगें। जिस पर वादी ने प्रतिवादीगण के कथनों पर विश्वास कर लिया। आजकल जमीनों के भाव बढ़ जाने से प्रतिवादी सं0 1 लगा0 9 की नियत में फितुर आया हुआ है तथा वह मनचाही जगह भूमि पर कब्जा करके वादी को उसके हक व अधिकार की भूमि से वंचित करना चाहते है ओर वादी की उन्नत व विकसित की गई भूमि को अपनी बताते हुये कब्जा करने पर उतारू है तथा मनचाही जगह का बेचान करने पर आमदा है इसी आशय से प्रतिवादी सं0 1 लगा0 9 को दीगर अजनबी व्यक्तियों के साथ दिनांक 01.11.15 को वादग्रस्त आराजी पर आये ओर वादी के हिस्सें की कब्जेंशुदा आराजी को अपनी बताते हुये कब्जा करने व उक्त भूमि का मनचाही जगह से बेचान करने की धमकी दी जिससे वादी को अपने हक व अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह वाद बाबत् विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ है।

उक्त वाद पेश होने पर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी सं0 1, 6, 8, 9 की तरफ से श्री अशोक कुमार कुमावत व प्रतिवादी सं0 10 की ओर से श्री शोहरत अली ने वकालतनामा पेश कर

उप खण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

जवाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादी सं0 2 लगा0 5, 7, 11 लगा0 13 बावजूद सूचना के अनुपस्थित होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी सं0 1, 6, 8, 9 की ओर से जवाब दावा पेश किया जिसमें कथन किया कि वादी का प्रतिवादी सं0 1, 6, 8, 9 के मध्य में मौके पर कब्जा अनुसार पैमाईश कर विधिक विभाजन कर दिया जावे और प्रतिवादी सं0 1, 6, 8, 9 के पक्ष में अन्य कोई अनुतोष हो वादी से दिलवाया जावें। पक्षकारान वकीलों द्वारा राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हिस्सों व मौके पर कब्जें काश्त के अनुसार विभाजन करने हेतु निवेदन करने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया एंव पक्षकारान वकील की दलील सुनी जाकर बाद मनन के वाद वादी प्राथमिक–डिक्री करना उचित पाया जाने पर प्राथमिक–डिक्री किया गया। उक्त प्राथमिक डिक्री के आधार पर तहसीलदार फुलेरा नक्शें कुरेजात मंगवाने हेतु लिखा गया जिस पर तहसीलदार फुलेरा द्वारा नक्शें कुरेजात प्राप्त हुये उक्त नक्शें कुरेजात के आधार पर दिनांक 09.05.16 को न्याय आपके द्वार अटल सेवा केन्द्र नीरगपुरा में अन्तिम डिक्री किया गया। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 09.05.16 के विरूद्ध दिनांक 31.08.16 को रामदेवी वगै0 द्वारा एक प्रा0पत्र आर्डर 9 रूल 13 व धारा 5 मियाद अधिनियम को पेश किया। उक्त प्रा0पत्र आर्डर 9 रूल 13 जा0दी0 का स्वीकार होने पर पुनः उक्त प्रकरण सं0 232/15 को दर्ज किया गया जिसके नये प्रकरण सं0 163/17 दर्ज किये गये। पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 में अटल सेवा केन्द्र तेज्या का बास में पेश हुयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया पक्षकारान को सुना गया। पक्षकारान द्वारा यह जाहिर किया गया कि पूर्व में प्राप्त नक्शें कुरेजात में खं0नं0 132/1 रकबा 9 बीघा 15 विस्वा को वादी के हक में यथावत् रखते हुए शेष भूमि प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज करते हुए वाद अन्तिम डिक्री किया जावें जिस पर पक्षकारान ने अपनी अपनी सहमति प्रदान की है अतः वाद लोक अदालत की भावना से पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पक्षकारान की सहमतिनुसार पूर्व में जारी निर्णय व डिक्री दिनांक 09.05.16 को निरस्त किया जाता है तथा वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर पूर्व में प्राप्त नक्शें कुरेजात में अंकित भूमि खं0नं0 132/1 रकबा 9 बीघा 15 विस्वा की आराजी वादी के पक्ष में यथावत् रखते हुए शेष भूमि प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त रूप से खातेदारी व नक्शें में अंकित की जाकर वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है।

उप खण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

क्रियात्मक आदेश

अतः वादी का वाद विभाजन आराजी आंशिक रूप से लोक अदालत की भावना से इस प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है कि पूर्व में प्राप्त नक्शें कुरेजात दिनांक 09.05.16 के अनुसार आराजी खं0नं0 132/1 रकबा 9 बीघा 15 विस्वा वाकै ग्राम ईटावा प0ह0 तेज्या का बास तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 का निर्मल पुत्र आनन्दीलाल कौम कुमावत नि0 जोबनेर रोड़ फुलेरा तथा खं0नं0 372/132 रकबा 14 विस्वा भूमि जो मौके पर सडक के उपयोग में आ रही है में आशुराम पुत्र कानाराम दत्तक पुत्र लक्ष्मण हिस्सा 54/670, देवीलाल, रामचन्द्र, हेमराज पुत्रान काना हिस्सा 3/20 राहिन युको बैंक शाखा फुलेरा मुर्तहीन हरजी पुत्र पेमा हि0 100/670 रतनीदेवी पत्नि हरजी हि0 34/670, मोती पुत्र पेमा हिस्सा 14/670 राहिन यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सांभरलेक मुर्तहीन प्रभू पुत्र पेमा हि0 1/5 रामादेवी पत्नि काना हि0 20/670 आसूराम पुत्र कानाराम हि0 135/6700 कौम जाट सा0दे0 निर्मल पुत्र आनन्दीलाल हि0 200/670 कौम कुमावत नि0 जोबनेर रोड़ फुलेरा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष रकबें का प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज करते हुए नवीन खं0नं0 अंकित कर नक्शें में तरमीम की जावें। मुताबिक अन्तिम डिक्री परचा तैयार कर शामिल किया जावे। राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार फुलेरा को लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 20.06.2018 को राजस्व लोक अदालत केम्प तेज्या का बास टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

उप खण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner